जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBIT

O Those Happy Surprises!

They had organised a gala affair for us, planned it well with imagination and great enthusiasm. Friends and family from afar and near had been given ample notice.

Merry Christmas

Christmas has a magical way of bringing out the best in us

दिल्ली की अदालत ने गहलोत को दिया भारी झटका

राउज़ एवैन्यु कोर्ट ने निचली अदालत के सम्मन आदेश के खिलाफ दायर गहलोत की याचिका खारिज की

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। एक व्यक्ति जो निरन्तर यह कहा करता था कि कुर्सी उसे कभी नहीं छोड़ेगी। वह विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को हरवाने के बाद ना केवल राजस्थान की सत्ता से बाहर है बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी परेशानियां झेल रहा है।

राजस्थान में अभी नई सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन गहलोत की परेशानियां पहले ही शुरु हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री को यह एक बड़ा झटका है। दिल्ली के रूज़ अवैन्यू कोर्ट ने गहलोत के खिलाफ अवमानना केस में सुनवाई शुरु करने की इजाजत दे दी है।

केन्द्रीय मंत्री एवं गहलोत के गृह जिले जोधपुर में ही उनके पुत्र वैभव गहलोत को हराने वाले गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना का केस दायर किया था। यह केस अशोक गहलोत द्वारा शेखावत एवं उनके परिवार के सदस्यों पर संजीवनी कोओपरेटिव क्रेडिट घोटाले में शामिल होने के बार-बार लगाए गए आरोपों के बाद दायर किया गया।

इस केस का निर्णय यदि गहलोत के खिलाफ जाता है तो ना केवल उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा, बल्कि वह अपनी विधानसभा की सदस्यता से भी हाथ धो सकते हैं।

- निचली अदालत ने 6 जुलाई को दिए गए अपने आदेश में गहलोत को शेखावत की मानहानि के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया था।
- अब गहलोत को अदालत में उपस्थित होकर बयान देना पड़ेगा और वकीलों के सवालों की बौछार भी झेलनी होगी।
- गहलोत अगर यह केस हार जाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है और विधायकी भी छिन सकती है।
- नई सरकार के गठन से पहले ही लगता है गहलोत के बुरे दिन शुरू हो गए हैं।
- गहलोत पर केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने संजीवनी क्रेडिट घोटाले में अपमानजनक बयानबाजी के कारण मानहानि का मुकदमा किया था।

कोर्ट के एडीशनल सैशन जज एम.के. नागपाल ने आज एक विस्तृत आर्डर जारी किया। गहलोत द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया। माननीय ए.सी.एम.एम. कोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद जारी किए गए समन के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की गई थी। केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा दायर याचिका पर गहलोत को आरोपी मानते हुए समन जारी किए गए थे।

जब गहलोत ने शेखावत और उनके परिवार के सदस्यों पर संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाते हुए अपमानजनक बयान दिए तब शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। पुनरीक्षण

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा की बैठक स्थगित

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। लोकसभा की सुरक्षा में सनसनीखेज गंभीर चूक हुई, शून्य काल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा हॉल में दो आगन्तुक कूद गए, परन्तु वे किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सके क्योंकि वहां बैठे हुई सांसदों ने उनको पकड़ के उनकी पिटाई कर दी और उन व्यक्तियों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। उन व्यक्तियों के पास मैसूर भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा (47) के द्वारा हस्ताक्षरित विज़िटर्स पास था।

- घुसपैठ के बाद स्पीकर ओम बिड़ला ने बैठक गुरूवार तक के लिए स्थगित कर दी थी, पर विपक्ष के दबाव में उन्हें शाम चार बजे बैठक बुलानी पड़ी।

अध्यक्ष ने सदन तुरंत स्थगित कर दिया परन्तु विपक्ष ने दोपहर के मध्यान्तर के बाद अध्यक्ष पर दबाव डाला कि, सर्वप्रथम इस घटना पर चर्चा कराई जाए। शाम 4 बजे अध्यक्ष ने सभी सदस्यों की घटना से संबंधित चिंताओं को सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक सुरक्षा में चूक की जांच नहीं हो जाती है उस समय तक किसी को भी आगन्तुक दर्शक प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष ने सदस्यों को घटना की विस्तृत जानकारी दी और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मैसूर के इंजीनियर ने जुटाए थे पास

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। संसद भवन में घुसपैठ करने वाला मैसूर निवासी इंजीनियर मनोरंजन डी. था। वह नये लोकसभा भवन को देखने के लिए पिछले तीन माह से लगातार मैसूर से भाजपा के सांसद प्रताप सिम्हा से मिल रहा था ताकि दर्शक दीर्घा का प्रवेश पत्र प्राप्त कर सके। सूत्रों के हवाले से खबर

- मनोरंजन डी. नामक यह व्यक्ति तीन माह से सांसद प्रताप सिम्हा के ऑफिस जा रहा था और उनसे नई संसद देखने के लिए पास जारी करने को कह रहा था।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

शिवसेना सांसद संजय राउत पर राजद्रोह का केस दर्ज

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। शिव सेना (यू.बी.टी.) नेता संजय राउत ने अपने को एक बार फिर दस्जावेज़ के मामले में संकट में फंसा लिया है अब उन पर राजद्रोह का आरोप तथा उनकी पार्टी के मुख पत्र "सामना" में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ आलोचनात्मक व विवादास्पद लेख प्रकाशित करने के मामले में अन्य आरोप लगाए गए है।

राउत इस साल प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा पात्रा चाल पुनर्विकास परियोजना के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद 100 दिनों जेल में रह कर आए हैं। विशेष कोर्ट, मुम्बई के जमानती आदेश के बाद 1 अगस्त को इसी वर्ष जेल से छूटे हैं। वर्तमान तथाकथित मामले में, राउत के खिलाफ यवतमाल के भाजपा जिला समन्वयक नितिन भूतड़ा के द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराकर शिकायत करने के बाद मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ धारा 12(ए) राजद्रोह से संबंधित, 153ए (विभिन्न समूहों के बीच धर्म, नस्ल, जन्म का स्थान, निवास अथवा भाषा को लेकर वैमनस्य बढ़ाने तथा 505(2) के तहत विभिन्न वर्गों के मध्य नफरत व दुर्भावना को बढ़ाने से संबंधित मामला

- शिव सेना के उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत पर "सामना" में प्र.मंत्री मोदी विरोधी लेख लिखने के कारण यह केस दर्ज करवाया गया है।
- महंगाई विरोधी उक्त लेख के खिलाफ भाजपा के यवतमाल जिला समन्वयक नितिन भूतड़ा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
- ज्ञातव्य है कि, ई.डी. से जुड़े एक मामले में राउत इस वर्ष पहले ही 100 दिन की जेल काट चुके हैं और एक अगस्त को ही जमानत पर रिहा हुए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कुछ ही मिनटों में दो बार संसद की सुरक्षा में सेंध

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर। संसद हमले की 22वीं बरसी पर सुरक्षा में हुई अभूतपूर्व चूक केन्द्रीय गृह मंत्रालय की कुशलता और कार्य शैली पर संदेह पैदा कर रही है। विज़िटर्स गैलरी में से एक युवा सदन के चैम्बर में कूदा। उसने डैस्क्स पर चढ़ना और नारे लगाना शुरु कर दिया। दूसरा विज़िटर्स गैलेरी से लपक कर आया और उसने पीले से रंग का स्प्रे किया।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक युवक की पहचान सागर शर्मा के रूप में हुई है। वह एक सांसद द्वारा जारी किए गए पास से सदन में दाखिल हुआ था। दूसरे घुसपैठिए का नाम मनोरंजन है। उसे भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा के कार्यकाल से पास जारी किया गया था। अधिकारी ने बताया कि "दोनों युवक संसद की सिक्योरिटी यूनिट की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन्हें स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा।"

स्पीकर ओम बिड़ला के एक संक्षिप्त बयान के साथ ही लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे पुनः शुरु हुई। बिड़ला ने आक्रोशित सांसदों से कहा कि "हम प्रकरण की जांच कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस से जांच-पड़ताल के लिए कहा गया है। पुलिस ने यहां बताया कि "एक अन्य घटना में एक युवक व एक युवती को भी लोकसभा की सुरक्षा में हुई चूक के बाद गिरफ्तार किया

- पहले तो दो युवक दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूदे और स्मोक कैनिस्टर्स से बदबूदार धुआं छोड़ा।
- दूसरी घटना में संसद के बाहर एक महिला व एक आदमी ने नारेबाजी की उनके पास से दो कैन मिले जिनसे लाल-पीला धुआं निकल रहा था।
- चारों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ की जा रही है।
- लोकसभा में कूदे दोनों युवक मैसूर के भाजपा सांसद प्रताप सिम्हा द्वारा जारी पास से संसद आए थे। उन्होंने भारत माता की जय, तानाशाही नहीं लेगी, जय भीम, जय भारत के नारे भी लगाए थे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

MAHATMA GANDHI UNIVERSITY of MEDICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
JAIPUR
RIICO Institutional Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur • Phone : 0141-2771777 • website : www.mgumst.org

The Chairperson cum Chancellor
Dr Vikas Chandra Swarankar
The Vice Chancellor, Members of Board of Management of the University

Dr Sultan Pradhan

Welcome
Dr Sultan Pradhan
Renowned Surgical Oncologist and Chairman, CanCare Trust & Head & Neck Cancer Institute of India, Mumbai

Padamshri Dr R P Soonawala
Eminent Obstetrician & Gynaecologist

on
The occasion of delivering
Dr Rustom Phiroze Soonawala Oration-2023
Subject :
"Reflections on 50 years in Oncology"
on
Thursday, December 14, 2023 at 11:00 AM

Scan QR Code for Live Program

Venue :
R L Swarankar Auditorium
Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology (MGUMST), Jaipur

Dr Achal Gulati
Vice Chancellor
MGUMST

Dr M L Swarankar
Emeritus Chairperson
MGUMST

Dr N D Soni
Principal, Dean & Controller
MGMC&H

Dr Hemant Malhotra
PHOD-Medical Oncology, MGMC&H
Director, Sri Ram Cancer and Super Speciality Center

Dr Raj Govind Sharma
PHOD-Surgical Oncology
MGMC&H

Dr Tarun Ojha
PHOD-ENT
MGMC&H

Dr A K Sharma
Registrar
MGUMST

महात्मा गाँधी अस्पताल, जयपुर
श्री राम कैंसर एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेन्टर
H-2019-0603
रीको इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर 302 022 फोन: 0141-2771777, 2771001-2-3
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा RGHS लाभार्थियों के लिए कैशलैस उपचार | मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, केन्द्र सरकार, राजस्थान सरकार व हरियाणा सरकार के समस्त कर्मचारी व पेंशनर्स ESIC, ECHS, BSNL रेलवे, FCI सरस बीमा योजना RCDF, All Major MEDICLAIM Cos. TPAs से उपचार हेतु अधिकृत
सम्पर्क - 8107677888 | Toll free : 18001806002

TRUE VALUE
MARUTI SUZUKI

भरोसे की सच्ची मिसाल!
TRUE VALUE के साथ जुड़ चुके है 50 लाख हैप्पी कस्टमर्स.

CELEBRATING 50 LAKH HAPPY FAMILIES

*T & C apply.

अपनी कार बेचने के लिए स्कैन करें

376 क्वालिटी चेक पॉइंट्स
वेरिफाइड कार हिस्ट्री
1 साल तक की वारंटी और 3 फ्री सर्विस*

पूछताछ के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जाएँ यहाँ www.marutisuzukitruevalue.com

TRUE VALUE CERTIFIED

छवियों का इस्तेमाल केवल उदाहरण मात्र है

JAIPUR: PADMAWATI COLONY- II, OPPOSITE METRO PILLAR NO 25, MANSAROVER METRO STATION JAIPUR, VIPUL MOTORS PVT. LTD.: 9829351470, 9509157505, 9351044999 | E-101, ROAD NO. 8, VKIA AREA, JAIPUR, PREM MOTORS: 8058794068, 8058791634, 8058794091 | E-197(A), RIICO INDUSTRIAL AREA, MANSAROVAR, JAIPUR, KP AUTOMOTIVE: 9116190342, 9116190346 | B 1 GOVIND MARG, RAJAPARK OPP. PINK SQUARE MALL, KP AUTOMOTIVE: 9549650533, 9116190344 | A-209, RAJENDRA PRASAD NAGAR, 200FT BYPASS, AJMER ROAD, JAIPUR, SATNAM MOTOCORP: 7413900007, 7413900009, 7821823626 | 13 JHOTWARA INDUSTRIAL AREA, NEAR JHOTWARA POLICE STATION, JAIPUR, KTL: 7412068475, 9209056789 | SECTOR-35,PRATAP NAGER,TONK ROAD,JAIPUR, SANGA AUTONATION PVT LTD.: 9057809180, 7734909000, 7734901000.